न्यायालय: - पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (आप.प्रक.क. :- 640 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 15/07/14)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद जिला–भिण्ड., म.प्र.

...... अभियोजन।

<u>/ / विरूद्ध / /</u>

- गुन्टेन खॉ पुत्र सरदार खॉ उम्र 63 वर्ष 01.
- सौराव खॉ पुत्र गुन्टेन खॉ उम्र 38 वर्ष 02.
- सपोला खॉ पुत्र गुन्टेन खॉ उम्र 36 वर्ष 03. निवासीगण :- ग्राम चितौरा, थाना-गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

...... अभुियक्तगण।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक :- 07/04/2017 को घोषित)

- आरोपीगण गुन्टेन, सौराव एवं सपोला पर धारा 294, 323, 323/34, 324, 324 / 34, 325, 325 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उन्होनें दिनांक :- 18/05/2014 को रात्रि लगभग 11:30 बजे आरोपी गुन्टेन की पंचर की दुकान के सामने ग्राम चितौरा में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी राजू सिंह को मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी राजू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त गुन्टेन खॉ ने धारदार आयुध धारिया से, अभियुक्त सौराव ने धारदार आयुध छुरी से, अभियुक्त सपौला ने लाठी से एवं अभियुक्त आसीन ने लात-घूसों से फरियादी राजू की मारपीट कर उसे अस्थिमंग कारित कर घोर स्वेच्छया उपहति एवं अन्य चोटें कारित कर स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी राजु को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है। उल्लेखनीय है कि आरोपी आसीन की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यू हो चुकी है और इस कारण प्रकरण उसके विरूद्ध उपशमित हो चुका है।
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 18/05/2014 को रात्रि लगभग 11:30 बजे आरोपी गुन्टेन की पंचर की दुकान के सामने ग्राम चितौरा में, आरोपीगण द्वारा उससे गाली-गलौच करने, उसकी धारिया, छूरी एवं लात-घूसों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी राजू ह

ारा दिनांक : 19/05/2014 को थाना गोहद में की जाने पर, थाना गोहद में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 164/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपिटत धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। आहत राजू के एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध धारा 325 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी राजू, साक्षी देवेन्द्र सिंह एवं महेश सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04. आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 323/34, 324, 324/34, 325, 325/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होनें आरोप से इंकार कर विचारण चाहा। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत राजू के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323, 323/34, 325, 325/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :--
- 01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 18/05/2014 को रात्रि लगभग 11:30 बजे आरोपी गुन्टेन की पंचर की दुकान के सामने ग्राम चितौरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी राजू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त गुन्टेन खॉ ने धारदार आयुध धारिया से, अभियुक्त सौराव ने धारदार आयुध छुरी से फरियादी राजू की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी राजू अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है। साक्षी आगे कहता है कि उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था, जिससे आरोपीगण ने उसकी मारपीट कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गोहद में की थी, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा—मौका प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा

पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी राजू अ.सा.04 ने आरोपीगण द्वारा दिनांक : 18/05/2014 को रात्रि लगभग 11:30 बजे आरोपी गुन्टेन की पंचर की दुकान के सामने ग्राम चितौरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अभियुक्त गुन्टेन खॉ ने धारदार आयुध धारिया से, अभियुक्त सौराव ने धारदार आयुध छुरी से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छयॉ उपहतियॉ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी राजू अ.सा.04 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.07 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- 08. साक्षी देवेन्द्र अ.सा.01 एवं महेश सिंह अ.सा.02 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपीगण द्वारा दिनांक : 18 / 05 / 2014 को रात्रि लगभग 11:30 बजे आरोपी गुन्टेन की पंचर की दुकान के सामने ग्राम चितौरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अभियुक्त गुन्टेन खॉ ने धारदार आयुध धारिया से, अभियुक्त सौराव ने धारदार आयुध छुरी से फरियादी राजू की मारपीट कर उसे स्वेच्छयॉ उपहितयॉ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 09. आरोपीगण एवं फरियादी / आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी राजू अ.सा.04 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक :— 18/05/2014 को रात्रि लगभग 11:30 बजे आरोपी गुन्टेन की पंचर की दुकान के सामने ग्राम चितौरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी राजू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त गुन्टेन खॉ ने धारदार आयुध धारिया से, अभियुक्त सौराव ने धारदार आयुध छुरी से फरियादी राजू की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।
- 11. अभियोजन आरोपीगण गुन्टेन, सौराव एवं सपोला के विरूद्ध धारा 324, 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324, 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 12. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद